न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाह्य न्यायालय मोहम्मदी, खीरी।

सत्र परीक्षण सं0–76/2016

राज्य बनाम रन्जीत।

मु0अप0सं0–64/2012,
अं0धारा–3/25/27 आर्म्स एक्ट,
थाना मोहम्मदी, जिला खीरी।

दि0 14.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त रन्जीत अनुपस्थित है। उपनिरीक्षक शिव बहादुर सिंह, थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर–खीरी द्वारा अभियुक्त रन्जीत पुत्र भगवानदीन, निवासी सिसोरा निकूमपुर, थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर–खीरी की मृत्यु आख्या प्रस्तुत की गई है। अभियुक्त रन्जीत की मृत्यु के सम्बन्ध में साक्षी सी0डब्लू01 उपनिरीक्षक शिव बहादुर सिंह, थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर–खीरी का न्यायालय में साक्ष्य अंकित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त रन्जीत की दिनांक 29.08.2025 को मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली में अभियुक्त रन्जीत की मृत्यु आख्या व शासन द्वारा जारी अभियुक्त रन्जीत का मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न है। मृत्यु प्रमाण–पत्र पर प्रदर्श सी0डब्लू01 डाला गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त रन्जीत की मृत्यु हो जाने के कारण उपरोक्त वाद की कार्यवाही अभियुक्त रन्जीत के विरूद्ध उपशमित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रन्जीत पुत्र भगवानदीन, निवासी सिसोरा निकूमपुर, थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर–खीरी की मृत्यु हो जाने के कारण उपरोक्त सत्र परीक्षण की कार्यवाही अभियुक्त रन्जीत के विरूद्ध उपशमित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तार की जाये।

दिनांक–14.07.2026

(दिनेश कुमार गौतम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय मोहम्मदी,
जिला लखीमपुर–खीरी।
Jo Code UP1845